राजस्थान सत्यमेव जयते सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांकः 04 हनुमानगढ़ / **2016-2017**

प्रमाणित किया जाता है कि **बी.आर.चौधरी टी.टी. महाविधालय प्रबन्ध समिति,19J.R.K(पक्काभादवा) तहसील व जिला-हनुमानगढ़** का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958(राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक **20-04-2016 (बीस अप्रेल दो हजार सौलह)** को **हनुमानगढ़** में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

(सुलतान सिंह बेनीवाल)
रजिस्ट्रार संस्थाऐं
हनुमानगढ़

B.R. CHOUDHARY T.T MAHAVIDYALYA PRABANDH SAMITEE
19 JRK, PAKKA BHADWA, DISTT. HAUNUMANGARH-335802
Mob. 9829051132, 9783821000

Ref. No. Dated.....................

नई कार्यकारिणी सूचि 01/07/2016 से लागू

क्र. स.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	उर्मिला देवी W/o श्री रतन लाल	गृहणी	जाट कालोनी, रावतसर	अध्यक्ष
2	रवि कुमार S/o श्री सुभाष चन्द्र	व्यापार	गली नं. 10, हनुमानगढ	कोषाध्यक्ष
3	रेणु बाला W/o श्री विकास कुमार	नौकरी	वार्ड नं. 36, हनुमानगढ	सचिव
4	पवन कुमार S/o श्री लच्छी राम	व्यापार	हनुमान मन्दिर के पास रावतसर	सदस्य
5	गौरजा देवी W/o श्री ईश्वर दयाल	गृहणी	गांधी बडी तहसील भादरा	सदस्य
6	बाबूलाल S/o श्री बन्ने चन्द	व्यापार	249 तारानगर	सदस्य
7	रामप्रताप S/o श्री रामेश्वर लाल	व्यापार	स्टेट बैंक के पास नोहर	सदस्य
8	पूनम D/o श्री बाबूलाल	नौकरी	तारानगर	सदस्य
9	अजय कुमार S/o श्री मांगी लाल	व्यापार	198 रावतसर	सदस्य
10	विकास S/o श्री रतन लाल	नौकरी	नगीना मार्ग हनुमानगढ	सदस्य
11	महेन्द्र प्रताप S/o श्री शिवजी राम	व्यापार	वार्ड नं. 16, रावतसर	सदस्य
12	कुशम W/o श्री लाल चन्द	गृहणी	रामसुख दास पार्क के पास नोहर	सदस्य
13	मंजु गुप्ता W/o श्री नवदीप	एडवोकेट	वार्ड नं. 13 श्रीगंगानगर	सदस्य
14	नीरज कुमार S/o श्री रमेश चन्द	व्यापार	हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ जं.	सदस्य
15	सुभाष S/o श्री देवराज	व्यापार	वार्ड नं. 02, रावतसर	सदस्य

उर्मिला देवी
अध्यक्ष
PRESIDENT
B.R. Chaudhary TT College Management Committee Goluwala Distt. Hanumangarh

राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 19 क अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए पत्र, जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ट संख्या ......X... से ....61...... तक उपलब्ध हैं, की प्रमाणित प्रति है।

Renu
सचिव
For B.R. Choudhary College Management Committee

प्रमाणित प्रति देने की दिनांक 27/7/16

नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार (संस्थाएँ)
हनुमानगढ

शपथ–पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था बी० आर० चौधरी टी० टी० महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि :–

1. हमारी प्रस्तावित संस्था बी.आर. चौधरी टी.टी. महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के पंजीयन हेतु कुल इक्कीस आवेदक सदस्य हैं।

2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं हैं।

3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।

4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।

5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों को वितरण होगा।

6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।

7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएं, हनुमानगढ़ को इस संस्था के पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहित सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

नोट :– यह शपथ पत्र 10/– के स्टाम्प पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।

राजस्था संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली) तथा संघ विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबंधकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाए/बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिए क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाए जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 15 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिए।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।
9. प्रबन्धकारिणी के प्रत्येक सदस्य को मूल निवास प्रमाण पत्र/फोटो पहचान पत्र/मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

धारा-20

9. **सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा :-** इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखिता सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात :-

   पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक, अनाथ निधियां, * (खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिए स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिए स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिए या जनता के लिए खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लि स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिए स्थापित सोसाइटियां।

10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर उसमें दिए गए निर्देशों की पूर्ति करते हुए विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्यों का/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र/फोटो पहचान पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रूपये 10/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

---

* राजस्थान राज-पत्र विशेषांक 4 (क) दिनांक 17.5.95 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 7 एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र के कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक के सदस्य होने चाहिए।

15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगरपालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र हो तो उपयुक्त रहेगा।

16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।

17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।

18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हों।

19. अन्य संस्थाएं जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका कि प्रशिक्षण दिया जाता है। योग्यता या अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

20. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिए। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हों तथा पति की विधवा मां जो पूर्व रूपेण आश्रित हो।

21. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क करें पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

22. अधिसूचना क्रमांक प.4 (5) कृषि–4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/– रुपये के स्थान पर 2500/– रुपये निर्धारित करती है।

❑❖❑❖❑❖❑❖❑❖

बी० आर० चौधरी टी० टी० महाविद्यालय प्रबन्ध समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम बी० आर० चौधरी टी० टी० महाविद्यालय प्रबन्ध समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 19 RRK, पक्का भादवा वाया गोलूवाला कानिसेत्र हनुमानगढ़ व गंगानगर है तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ़ व गंगानगर क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

समिति का गठन बिना कोई जाति, धर्म, वंश का भेदभाव किये हर उम्र
1. के बच्चों का शैक्षणिक, मानसिक व शारीरिक उत्थान व मानव जाति के हित में किया है
2. शिक्षा के प्रसार के लिए संस्था बालबाडी, नर्सरी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल, यू.जी. व पी.जी. डिग्री कालेज, शिक्षक प्रशिक्षण व शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज
3. व्यवसायिक व टेक्निकल शिक्षा हेतु I.T.I. इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग व फार्मेसी, आयुर्वेदिक कॉलेज, पशुपालन केन्द्र, कृषि महाविद्यालय व विश्वविद्यालय
4. छात्रों की सुविधा हेतु छात्रावास, आवास, सामुदायिक केन्द्र व पुस्तकालय की स्थापना
5. व वाचनालयों का निर्माण व स्थापना करना
मेनेजमेन्ट, पत्रकारिता महाविद्यालय की स्थापना, कला, साहित्य, उपमों का प्रशिक्षण
6. देने, शोधपत्र तैयार करना व उन्हें प्रकाशित करना व शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना।
ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार व युवा वर्ग के बेरोजगार युवक-
7. युवतियों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी तरह के कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन करना व अन्य केन्द्र खोलकर संचालन करवाना।
8. इनके हेतु संस्था राज्य सरकार व अन्य संस्थाओं से दान व अनुदान प्राप्त करना व देना तथा उनको बनाए रखना।
9. आंगनवाडी, पोषाहार व शिशुपालन केन्द्रों का संचालन करना।
10. प्रौढ़ शिक्षा हेतु का प्रबन्ध करना व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना
11. विधवा व परित्यक्ता महिलाओं के लिए वृद्धआश्रमों की स्थापना करना व उनकी उन्नति हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।
12. अन्य कोई जनहितकारी कार्य जो संस्था व समाज के उद्देश्यों
13. को पूरा करने के लिए संस्था आवश्यक समझेगी।

14.

15.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष

(4)

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :–

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	रतनलाल पुत्र महावीर प्रसाद	व्यापार	जाट कालोनी, रावतसर	अध्यक्ष
2.	रवि कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र	व्यापार	गली नं॰-10, हनुमानगढ़	कोषाध्यक्ष
3.	रेणुबाला पत्नी विकास कुमार	नौकरी	वार्ड नं॰-36, हनुमानगढ़	सचिव
4.	पवन कुमार पुत्र लच्छीराम	व्यापार	हनुमान मंदिर के पास, रावतसर	सदस्य
5.	गौरजा देवी पत्नी ईश्वरदयाल	गृहणी	गांधी बड़ी तहसील, भादरा	सदस्य
6.	बाबूलाल पुत्र बन्नेचन्द	व्यापार	249, तारानगर	सदस्य
7.	रामप्रताप पुत्र रामेश्वरलाल	व्यापार	स्टेट बैंक के पास, नोहर	सदस्य
8.	पूनम पुत्री बाबूलाल	नौकरी शिक्षाविद	तारानगर	सदस्य
9.	उर्मिला देवी पत्नी रतनलाल	गृहणी	जाट कालोनी, रावतसर	सदस्य
10.	अजय कुमार पुत्र मांगीलाल	व्यापार	198, रावतसर	सदस्य
11.	विकास पुत्र रतनलाल	नौकरी	नगीना मार्ग, हनुमानगढ़	सदस्य
12.	महेन्द्र प्रताप पुत्र शिवजीराम	व्यापार	वार्ड नं॰-16, रावतसर	सदस्य
13.	कुशम / लालचन्द	गृहणी	रामसुख पार्क के पास, नोहर	
14.	मंजू गुप्ता / नवदीपक	एडवोकेट	वार्ड नं॰-13, श्रीगंगानगर	
15.	नीरज कुमार / रमेशचन्द	व्यापार	हाउसिंग बोर्ड, हनुमानगढ़ जं॰	
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होंगे व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने की इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	रतनलाल पुत्र महावीर प्रसाद	व्यापार	जाट कालोनी, रावतसर	रतनलाल
2.	रवि कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र	व्यापार	गली नं.-10, हनुमानगढ़	Ravi
3.	रेणुबाला पत्नी विकास कुमार	नौकरी	वार्ड नं.-36, हनुमानगढ़	रेणुबाला
4.	पवनकुमार पुत्र लच्छीराम	व्यापार	हनुमान मंदिर के पास, रावतसर	Pawan
5.	गौरजादेवी पत्नी ईश्वरदयाल	गृहणी	गांधी बड़ी तहसील, भादरा	गौरजा
6.	बाबूलाल पुत्र बन्नेचन्द	व्यापार	259, तारानगर	बाबूलाल
7.	रामप्रताप पुत्र रामेश्वरलाल	व्यापार	स्टेट बैंक के पास, नोहर	राम प्रताप
8.	पूनम पुत्री बाबूलाल	नौकरी	तारानगर	Poonam
9.	उर्मिला देवी पत्नी रतनलाल	गृहणी	जाट कालोनी, रावतसर	उर्मिला देवी
10.	अजय कुमार पुत्र मांगीलाल	व्यापार	198, रावतसर	अजय कुमार
11.	विकास पुत्र रतनलाल	नौकरी	नगीना मार्ग, हनुमानगढ़	[illegible]
12.	महेन्द्र प्रताप पुत्र शिवजीराम	व्यापार	वार्ड नं.-16 रावतसर	महेन्द्र
13.	नीरज कुमार पुत्र रमेशचन्द्र	व्यापार	हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़	[illegible]
14.	सुभाष पुत्र देवराज	नौकरी	वार्ड नं.-2, रावतसर	सुभाष
15.	विशाल पुत्र महावीरप्रसाद	व्यापार	श्रीगंगानगर	VISHAL
16.	पुनीत कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार	नौकरी	रावतसर, वार्ड नं.-5	Puneet
17.	जगदीप सिंह पुत्र थानासिंह	शिक्षाविद	सिहपुरा गोलूवाला	[illegible]
18.	संतोषदेवी पत्नी रामशेर सिंह	शिक्षाविद	अयालकी गोलूवाला	[illegible]
19.	कुशम / लालचन्द	गृहणी	रामपुरा पार्क के पास, नोहर	कुशम
20.	मंजूगुप्ता / नवदीप	एडवोकेट	वार्ड नं.-13 श्रीगंगानगर	[illegible]
21.	ईश्वरदयाल / रामकुमार	व्यापार	मान्धीवाड़ तहसील - भादरा	ईश्वरदयाल
22.				
23.				
24.				
25.				

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़

अध्यक्ष　　　　मंत्री　　　　कोषाध्यक्ष

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

NOTARY GOVERNMENT OF INDIA

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम इस संस्था के सदस्य नहीं हैं।

वरिष्ठ चि.अ. प्रभारी
सा.स्वा. केन्द्र
गोलूवाला

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

ATTESTED 06/04/16
Om Prakash Nankani
Advocate/Notary
Distt.-Hanumangarh

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 04/हनुमानगढ़/2016-17
2. संस्था का नाम श्री भारती महाविद्यालय प्रबन्ध समिति, 19 J.R.K
3. किश्त, दस्तावेज संघ पत्र/स्मृति पत्र/चालान
4. दस्तावेजों की संख्या
5. दिनांक पंजीयन 20/5/2016

रजिस्ट्रार संस्थाएं
हनुमानगढ़ (राज०)

बी.आर.चौधरी टी.टी. महाविद्यालय प्रबन्ध समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम बी.आर.चौधरी टी.टी. महाविद्यालय प्रबन्ध समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय: इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 19 JRK, पक्का भादवा, गोलूवाला
तथा कार्यक्षेत्र हनुमानगढ़ व गंगानगर जिला है
तथा इसका कार्यक्षेत्र हनुमानगढ़ व गंगानगर क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. समिति का गठन बिना कोई जाति, धर्म, वंश का भेदभाव किये हर उम्र के बच्चों का शैक्षणिक, मानसिक व शारीरिक उत्थान व मानव जाति के हित में किया गया है।
2. शिक्षा के प्रसार के लिए संस्था बालबाड़ी, नर्सरी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल, यू.जी. व पी.जी. डिग्री कॉलेज शिक्षक प्रशिक्षण व शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज खोलना
3. व्यावसायिक व टेक्निकल शिक्षा हेतु I.T.I. इंजिनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज
4. नर्सिंग व फार्मेसी, आयुर्वेदिक कॉलेज, पशुपालन केन्द्र, कृषि महाविद्यालय व विश्वविद्यालय छात्रों की सुविधा हेतु छात्रावास, आश्रम, सामुदायिक केन्द्र व पुस्तकालय की स्थापना
5. की स्थापना व वाचनालय का निर्माण व स्थापना करना।
6. मेनेजमेन्ट, पत्रकारिता महाविद्यालय की स्थापना, कला, साहित्य उपयोगी प्रशिक्षण देना, शोधपत्र तैयार करना व उन्हें प्रकाशित करना व शैक्षणिक कार्यक्रमों की स्थापना
7. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार व युवा वर्ग के बेरोजगार युवक
8. युवतियों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी तरह के कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन करना व अन्य केन्द्र खोलकर संचालन करवाना।
9. इस हेतु संस्था राज्य सरकार व अन्य संस्थाओं से दान व अनुदान प्राप्त करना व देना एवम उसको बनाए रखना।
10. बालवाड़ी, पालनाघर व शिशुपालन केन्द्रों का संचालन करना।
11. प्रौढ़शिक्षा हेतु प्रबन्ध करना व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना
12. निर्धन व परित्यक्ता महिलाओं के लिए एवं वृद्ध के लिए वृद्ध आश्रमों की स्थापना करना व उनकी उन्नति हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना
13. अन्य कोई जनहितकारी कार्य जो संस्था व समाज के उद्देश्यों को पूरा
14. करने के लिए संस्था आग्रणीय रहेगी।
15.

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण

संस्था के सदस्यों का निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे

1. संरक्षक
2. विशिष्ठ
3. सम्माननीय
4. साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिए)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकाश शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1. संरक्षक राशि 1,50 000/- वार्षिक/आजन्म
2. विशिष्ठ राशि 100000/- वार्षिक/आजन्म
3. सम्माननीय राशि 51000/- वार्षिक
4. साधारण राशि 5100/- वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. .... की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

7. सदस्यता से निष्कासन

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर

8. साधारण सभा

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :-

1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबंधकारिणी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

10. साधारण सभा की बैठकें

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कौरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जाएगी।

अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन के पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाए जाने पर उक्त 15 सदस्यों में कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार से बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चालने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसके पदाधिकारी एवं सदस्य निम्न होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मंत्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में 3 पदाधिकारी व 12 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे।

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन

1. संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जाएगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :-

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जाएगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष | मंत्री | Ravi कोषाध्यक्ष

15. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य

संस्था की प्रबंधकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष
   1. बैठकों को आहूत करना।
   2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
   3. बैठकें आहूत करना।
   4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
   5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
2. उपाध्यक्ष
   1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
   2. प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
3. मंत्री
   1. बैठकें आहूत करना।
   2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
   3. आय-व्यय पर नियंत्रण रखना।
   4. वेतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
   5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
   6. पत्र व्यवहार करना।
   7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक कार्य जो आवश्यक हो।
4. उपमंत्री
   1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
   2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।
5. कोषाध्यक्ष
   1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
   2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
   3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
   4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

16. संस्था का कोष

संस्था कोष निम्न प्रकार संचित होगा :

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय शुल्क
   1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जाएगी।
   2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन सम्भव होगा।

15. कोष संबंधी विशेषाधिकार	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्युकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे। 1. अध्यक्ष 5,10000/- रु. 2. मंत्री 2,25000/- रु. 3. कोषाध्यक्ष 1,25000/- रु. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जाएगी।
18. संस्था का अंकेक्षण	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करवाया जावेगा। वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च होगा।
19. संस्था का विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान में आवश्यक हुआ तो संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
20. संस्था का विघटन	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी, लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।
21. संस्था के लेखे–जोखे का निरीक्षण	रजिस्ट्रार संस्थाएँ हनुमानगढ़ को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) बी. आर. चौधरी टी.टी. महाविद्यालय प्रबन्ध समिति समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 04/हनुमानगढ़/2016-17
2. संस्था का नाम बी. आर. टी. टी. (चौधरी) महाविद्यालय प्रबन्ध समिति, 19 J.R.K
3. किश्त, दस्तावेज नियमावली/स्थाई तौर
4. दस्तावेजों की संख्या तीन
5. दिनांक पंजीयन 20/4/2016

रजिस्ट्रार संस्थाएं
हनुमानगढ़ (राज०)

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

B.R.CHAUDHARY T.T.
MAHAVIDYALAYA PRBANDH
SAMITTEE

20/04/2016

Permanent Account Number

AADAB2339M

17062016

e-TDS Intermediary
(NSDL e-Governance Infrastructure Limited)

Date: October 22, 2016

B.R.CHAUDHARY TT MAHAVIDYALAYA PRBANDH SAMITTEE
KGM GARDEN KE SAMNE
19 JRK , PAKKA BHADWA
VIA GOLUWALA
HANUMANGARH
RAJASTHAN - 335802
Phone : 9783 - 821000

Sir/Madam,

Sub: Allotment of Tax Deduction Account Number (TAN) as per the Income-tax Act, 1961 against your TAN application Acknowledgment number 88303013304741

Kindly refer to your application (Form 49B) dated September 27, 2016 for allotment of Tax Tax Deduction Account Number(TAN). In this connection, the following TAN has been issued to you / your organization:

JDHB07588A

Please quote the same in all TDS challans, TDS certificates, TDS returns, Tax Collection at Source (TCS) returns as well as other documents pertaining to such transaction.

Quoting of TAN on all TDS returns and challans for payment of TDS is necessary to ensure credit of TDS paid by you and faster processing of TDS returns.

The above TAN should also be used as Tax Collection at Source Account Number under Section 206CA.

Kindly note that it is mandatory to quote TAN while furnishing TDS returns, including e-TDS returns. e-TDS return will not be accepted if TAN is not quoted.

This supersedes all the Tax Deduction / Collection Account Number, allotted to you earlier.

This is an auto-generated e-mail, please do not reply to this e-mail. Your TAN intimation letter will be delivered at the address mentioned in your application

For more information contact the PAN/TDS Call Centre at:
Telephone: 020-2721 8080
Fax: 020-2721 8081
Email: tininfo@nsdl.co.in
Write to: Income Tax PAN Services Unit
(Managed by NSDL e-Governance Infrastructure Limited)
5th Floor, Mantri Sterling,
Plot No. 341, Survey No.997/8,
Model Colony,
Near Deep Bungalow Chowk,
Pune – 411016.

Income Tax Department

Caution:
Income Tax Department does not send e-mails regarding refunds and does not seek any taxpayer information like user name, password, details of ATM, bank accounts, credit cards, etc. Taxpayers are advised not to part with such information on the basis of emails.